BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 25 मार्च 2023

बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर 02 हत्यारोपी को आजीवन कारावास व 10,500-10,500 रूपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त नरेन्द्र शर्मा उर्फ पच्चे पुत्र जयद्रथ शर्मा व सुरेन्द्र सिंह पुत्र बलजीत सिंह निवासीगण ग्राम सैदपुर थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 17-07-2009 को मुकेश कुमार पुत्र रामवीर सिंह थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर पर फायरिंग कर, उसकी हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना बीबीनगर पर मुअसं-213/2009 धारा- 307,302,34 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत है। जिसमें पुलिस द्वारा दिनांक 07-10-2009 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित करते हुए अभियोग में मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 25.03.2023 को मा0 न्यायालय, एडीजे-12 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर **अभियुक्त नरेन्द्र शर्मा उर्फ पच्चे व सुरेन्द्र सिंह को आजीवन कारावास व 10,500-10,500 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक श्री केशवदेव शर्मा, श्री कुश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर